



Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 170-2017/Ext.] CHANDIGARH, MONDAY, SEPTEMBER 25, 2017 (ASVINA 2, 1939 SAKA)

हरियाणा सरकार

आबकारी तथा कराधान विभाग

अधिसूचना

दिनांक 25 सितंबर, 2017

संख्या 91/एसटी-2.— हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19) की धारा 9 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, परिषद् की सिफारिशों पर, इसके द्वारा, हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 35/एसटी-2, दिनांक 30 जून, 2017 में, निम्नलिखित संशोधन करते हैं अर्थात्:—

संशोधन

हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 35/एसटी-2, दिनांक 30 जून, 2017 में, —

(क) अनुसूची I — 2.5% में, —

(i) "माल का विवरण" शीर्ष के नीचे, क्रम संख्या 11, 13, 25, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58 और 59 के सामने, "जो इकाई आधान में रखा हुआ है और जिसका कोई रजिस्ट्रीकृत नाम" शब्दों तथा चिह्न के स्थान पर, "जो इकाई आधान में रखे गए हैं, और,—

(क) जिनका कोई पंजीकृत ब्रांड नाम हो; या

(ख) जिनका कोई ऐसा ब्रांड नाम हो जिस पर किसी विधि न्यायालय में अनुयोज्य दावा या प्रवर्तनी अधिकार प्राप्य हो [अनुबंध में दी गई शर्तों के अधीन रहते हुए, उनसे भिन्न जहां ऐसे ब्रांड नाम के सम्बन्ध में किसी अनुयोज्य दावा या प्रवर्तनी अधिकार का स्वेच्छा से परित्याग कर दिया गया हो]" शब्द, कोष्ठक तथा चिह्न प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(ii) क्रम संख्या 29 तथा उसके सामने, विद्यमान प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या और उसके सामने प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:—

"29 क	0802	अखरोट चाहे कवचयुक्त या छिलकारहित है या नहीं";
-------	------	---

(iii) क्रम संख्या 33 तथा उसके सामने, विद्यमान प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या और उसके सामने प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:—

"33 क	0813	इमली, शुष्कित ";
-------	------	------------------

- (iv) क्रम संख्या 100 तथा उसके सामने, विद्यमान प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या और उसके सामने प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-

"100 क	2106	भुना हुआ चना ";
--------	------	-----------------

- (v) माल का विवरण" शीर्ष के नीचे, क्रम संख्या 105 के सामने, "[जलीय फीड, जिसके अंतर्गत झींगा फीड और प्रान फीड, कुक्कुट फीड और पशु फीड, जिसके अंतर्गत घास, सुखी घास, पुआल, अनुपूरक एवं दालों की भूसी, सांद्र और योजक, गेहू का चोकर तथा तेलरहित खली भी है, से भिन्न]" कोष्टको, शब्दों, चिह्नों का लोप कर दिया जायेगा;

- (vi) "माल का विवरण" शीर्ष के नीचे, क्रम संख्या 106 के सामने, "[जलीय फीड, जिसके अंतर्गत झींगा फीड और प्रान फीड, कुक्कुट फीड और पशु फीड, जिसके अंतर्गत घास, सुखी घास, पुआल, अनुपूरक एवं दालों की भूसी, सांद्र और योजक, गेहू का चोकर तथा तेलरहित खली भी है, से भिन्न]" कोष्टको, शब्दों, चिह्नों का लोप कर दिया जायेगा;

- (vii) "माल का विवरण" शीर्ष के नीचे, क्रम संख्या 107 के सामने, "जलीय फीड, जिसके अंतर्गत झींगा फीड और प्रान फीड, कुक्कुट फीड और पशु फीड, जिसके अंतर्गत घास, सुखी घास, पुआल, अनुपूरक एवं दालों की भूसी, सांद्र और योजक, गेहू का चोकर तथा तेलरहित खली भी है, से भिन्न" शब्दों तथा चिह्नों के स्थान पर "बिनोला खल से भिन्न" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

- (viii) "माल का विवरण" शीर्ष के नीचे, क्रम संख्या 185 के सामने, विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-

"अगरबत्ती, लोभान, धूपबत्ती, धूप संब्रानी";

- (ix) क्रम संख्या 198 तथा उसके सामने, विद्यमान प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या और उसके सामने प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-

"198 क	4601, 4602	घास, पत्ती या ईख या फाइबर उत्पाद जिसके अंतर्गत मेट्स, पाउच, पर्स भी शामिल है";
--------	------------	--

- (x) माल का विवरण" शीर्ष के नीचे, क्रम संख्या 200 के सामने, विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-

"पतंग, पेपर मैशे वस्तुएं";

- (xi) क्रम संख्या 201 तथा उसके सामने, विद्यमान प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या और उसके सामने प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-

"201 क	4907	ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्स" ;
--------	------	-----------------------------

- (xii) क्रम संख्या 219 तथा उसके सामने, विद्यमान प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या और उसके सामने प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-

"219 क	5801	कॉरडरॉय फैब्रिक
219 ख	5808	साडी फाल" ;

- (xiii) क्रम संख्या 257 तथा उसके सामने, विद्यमान प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या और उसके सामने प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-

"257 क	9404	रुई वाली रजाइया जिनका प्रति नग विक्रय मूल्य 1000 रुपये से अधिक न हो" ;
--------	------	--

- (xiv) क्रम संख्या 259 तथा उसके सामने, विद्यमान प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या और उसके सामने प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-

"259 क	9601	कोरल की वस्तुओं से भिन्न कोरल्स जिन पर काम किया गया हो " ;
--------	------	--

- (xv) क्रम संख्या 260 तथा उसके सामने, विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम संख्या और उसके सामने प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-

"260	9603 [9603 10 00 से भिन्न]	ब्रूमस्टिक्स (उन झाड़ुओं के अलावा जो कि सीकों या अन्य वनस्पति सामग्रियों को बांधकर बनायी गई हो, चाहे इसमें हथ्थे लगे हो या नहीं)" ;
------	----------------------------------	---

- (xvi) क्रम संख्या 263 तथा उसके सामने, विद्यमान प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या और उसके सामने प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-

"263 क	कोई भी अध्याय	माला, प्रार्थना से संबंधित मनके या हवन सामग्री" ;
--------	---------------	---

- (ख) अनुसूची II-6% में, -

- (i) "माल का वर्णन" शीर्ष के नीचे, क्रम संख्या 15 के सामने, "अखरोट" शब्द का लोप कर दिया जायेगा ;
- (ii) "माल का वर्णन" शीर्ष के नीचे, क्रम संख्या 17 के सामने, "अध्याय 8 के दूढ़ फलों या फलों के मिश्रण" शब्दों तथा अंक के स्थान पर "नट्स का मिश्रण या अध्याय 8 के सूखे फलों [इमली, सूखे से भिन्न]" शब्द, अंक, कोष्ठक तथा चिह्न प्रतिस्थापित किए जाएंगे;
- (iii) "माल का वर्णन" शीर्ष के नीचे, क्रम संख्या 45 के सामने, तथा उसके सामने विद्यमान प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या और उसके सामने प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-

"संव्युतित वनस्पति प्रोटीन (सोयाबडी), दालों से बनी बडी, जिसके अन्तर्गत मूंगोडी, और बैटर जिसमें इडली/डोसा बैटर भी शामिल है";

- (iv) "माल का वर्णन" शीर्ष के नीचे, क्रम संख्या 46 के सामने, "उपभोग के लिए तैयार वैसी ही खाद्य निर्मितियां" शब्दों के स्थान पर, "उपभोग के लिए तैयार (भुने हुए चने से भिन्न)" शब्द तथा कोष्ठक प्रतिस्थापित किए जाएंगे;
- (v) "माल का वर्णन" शीर्ष के नीचे, क्रम संख्या 49 के सामने विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-

"इकाई आधान में रखा गया कच्चा नारियल तेल और,-

- (क) जिनका कोई पंजीकृत ब्रांड नाम हो; या
- (ख) जिनका कोई ऐसा ब्रांड नाम हो जिस पर किसी विधि न्यायालय में अनुयोज्य दावा या प्रवर्तनी अधिकार प्राप्य हो [अनुबंध में दी गई शर्तों के अधीन रहते हुए, उनसे भिन्न जहां ऐसे ब्रांड नाम के सम्बन्ध में किसी अनुयोज्य दावा या किसी कार्रवाईयोग्य दावे या प्रवर्तनी अधिकार का स्वेच्छा से परित्याग कर दिया गया हो]";
- (vi) "माल का वर्णन" शीर्ष के नीचे, क्रम संख्या 73 के सामने, "अगरबत्तियों" शब्द के स्थान पर, "अगरबत्ती, लोबान, धूपबत्ती, धूप, संब्रानी", शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;
- (vii) क्रम संख्या 85 तथा उसके सामने, विद्यमान प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या और उसके सामने प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-

"85 क	4016	रबर बैंड";
-------	------	------------

- (viii) क्रम संख्या 92 तथा उसके सामने, विद्यमान प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या और उसके सामने प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-

"92 क	44, 68, 83	लकडी, पत्थर [संगमरमर सहित] और धातु की मूर्तियां [उनसे भिन्न जो कीमती धातुओं से बनी हो]";
-------	------------	--

- (ix) क्रम संख्या 99 तथा उसके सामने, विद्यमान प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या और उसके सामने प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-

"99 क	4419	लकडी के टेबलवेयर और बरतन";
-------	------	----------------------------

- (x) "माल का वर्णन" शीर्ष के नीचे, क्रम संख्या 128 के सामने, "वैसे ही हक के दस्तावेज" शब्द के स्थान पर, "वैसे ही हक के दस्तावेज [ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप से भिन्न]" शब्द और कोष्ठक प्रतिस्थापित किए जाएंगे;
- (xi) "माल का वर्णन" शीर्ष के नीचे, क्रम संख्या 147 के सामने, विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-

“शीर्ष 5802 या 5806 के फेब्रिक से भिन्न, कॉरडरॉय फेब्रिक के सिवाय युतित रुआ फेब्रिक और शनील फेब्रिक”;

- (xii) “माल का वर्णन” शीर्ष के नीचे, क्रम संख्या 154 के सामने, विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-

“बुनी या क्रोशियाकृत से भिन्न बिना काशिदाकारी के ब्रेड नग; अलंकृत झालर नग; झब्बा, फून्दना और वैसी ही वस्तुएं [साड़ी फॉल से भिन्न]”;

- (xiii) क्रम संख्या 171 तथा उसके सामने, विद्यमान प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या और उसके सामने प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-

“171 क	6501	कपड़ा टोपी”;
--------	------	--------------

- (xiv) “माल का वर्णन” शीर्ष के नीचे, क्रम संख्या 176 के सामने, “बलुआ प्रस्तर ईट” शब्दों के बाद, “या पत्थर जटित कार्य” शब्द रखे जाएंगे;

- (xv) क्रम संख्या 176 तथा उसके सामने, विद्यमान प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या और उसके सामने प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-

“176 क	6802	मूर्तियों, प्रतिमाएं, पेडस्टल्स; ज्यादा या कम उभरी नक्काशी, क्रोसिस, जानवरों की आकृति, कटोरे, फूलदान, कप, कैचौ बक्से, लेखन सेट, ऐशट्रे, पेपर वेट, कृत्रिम फल और पत्ते आदि पत्थर के अन्य सजावटी सामान;
--------	------	---

- (xvi) क्रम संख्या 177 तथा उसके सामने, विद्यमान प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या और उसके सामने प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-

“177 क	6909	चीनी मिट्टी के पात्र, जार और समान प्रकार की वस्तुएं जिनका उपयोग माल के प्रवहन या उसकी पैकिंग के लिए किया जाता है
177 ख	6911	पार्सिलन या चाइना के खाने-पीने के बर्तन, रसोई के बर्तन, अन्य गृहस्थी वस्तुएं और प्रसाधन वस्तुएं
177 ग	6912	पार्सिलन या चाइना से भिन्न खाने-पीने के बर्तन, रसोई के बर्तन, अन्य गृहस्थी वस्तुएं और प्रसाधन वस्तुएं,
177 घ	6913	प्रतिमाएं और अन्य अलंकारी वस्तुएं”;

- (xvii) क्रम संख्या 189 तथा उसके सामने, विद्यमान प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या और उसके सामने प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-

“189 क	8306	आधार धातु की घंटियां, घंटे और वैसी ही वस्तुएं, जो विद्युत की नहीं हैं ; आधार धातु की लघु प्रतिमाएं और अन्य अलंकरण ; आधार धातु के फोटोग्राफ, चित्र या वैसी ही फ्रेम ; आधार धातु के दर्पण, धातु विदरीवेयर”;
--------	------	---

- (xviii) क्रम संख्या 195 तथा उसके सामने, विद्यमान प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या और उसके सामने प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-

“195 क	8424	बूंद-बूंद सिंचाई (ड्रिप सिंचाई) उपकरणों के लिए नोजल या स्पिंकलर के लिए नोजल”;
--------	------	---

- (xix) क्रम संख्या 224 तथा उसके सामने, विद्यमान प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या और उसके सामने प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-

“224 क	9404	रुई की रजाईयां जिनका विक्रय मूल्य प्रति नग 1000/- रूपये से अधिक हो”;
--------	------	--

- (xx) क्रम संख्या 231 तथा उसके सामने, विद्यमान प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या और उसके सामने प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-

“231 क	9601	कर्मित हाथी दांत, अस्थि, कछुआकवच, श्रृंग, श्रृंगा, मुक्ता सीप और अन्य प्राणी सामग्री और इन सामग्रियों की वस्तुएं , कोरल की वस्तुएं (जिनके संचन से प्राप्त वस्तुएं भी हैं)”;
--------	------	---

(ग) अनुसूची III - 9% में,-

- (i) क्रम संख्या 23 के सामने, खाना (3) के नीचे, "मधुमेह खाद्य (नमकीन भुजिया, मिक्चर, चबेना और समरूप खाद्य निर्मितियां, जो उपभोग के लिए तैयार प्रारूप में हैं से भिन्न" शब्दों तथा कोष्ठक के स्थान पर, "मधुमेह खाद्य, कस्टर्ड पाउडर (बैटर्स जिसमें इडली/डोसा बैटर भी शामिल है, नमकीन भुजिया, मिक्चर, चबेना और समरूप खाद्य निर्मितियां, जो उपभोग के लिए तैयार रूप में हैं से भिन्न)" शब्द तथा कोष्ठक प्रतिस्थापित किए जाएंगे;
- (ii) क्रम संख्या 111 के सामने, खाना (3) के नीचे, "प्लास्टिक तिरपाल" शब्दों के स्थान पर, "प्लास्टिक तिरपाल, मेडिकल श्रेणी के निस्तारणयोग्य निर्जीवाणुक दस्ताने, प्लास्टिक रेनकोट" शब्द तथा चिह्न प्रतिस्थापित किए जाएंगे;
- (iii) क्रम संख्या 123 तथा उसके सामने, विद्यमान प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या और उसके सामने प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-

"123 क	4016	धान डी-हैस्किंग मशीन के लिए राइस रबर रोल्स";
--------	------	--

- (iv) क्रम संख्या 140 तथा उसके सामने, विद्यमान प्रविष्टियों का लोप कर दिया जाएगा ;
- (v) क्रम संख्या 157 के सामने, खाना (3) के नीचे, "ब्रेल पेपर" शब्दों के स्थान पर, "ब्रेल पेपर, पतंगे, पेपर मैशे की वस्तुओं" शब्द तथा चिह्न प्रतिस्थापित किए जाएंगे;
- (vi) क्रम संख्या 172 के सामने, खाना (3) के नीचे, प्रविष्टियों में, अंत में "(टेक्सटाइल कैप से भिन्न)" कोष्ठक तथा शब्द रखे जाएंगे;
- (vii) क्रम संख्या 186 और 187 तथा उसके सामने, विद्यमान प्रविष्टियों का लोप कर दिया जाएगा ;
- (viii) क्रम संख्या 304 तथा उसके सामने, विद्यमान प्रविष्टियों का लोप कर दिया जाएगा ;
- (ix) क्रम संख्या 325 के सामने, खाना (3) के नीचे, "अग्निशामकों से भिन्न, चाहे आवेशित हैं या नहीं" शब्दों तथा चिह्नों के स्थान पर, "अग्निशामक, चाहे आवेशित हैं या नहीं तथा बूंद-बूंद सिंचाई (ड्रिप सिंचाई) यंत्र के लिए नोजल या स्प्रींकलर के लिए नोजल, से भिन्न" शब्द, चिह्न तथा कोष्ठक प्रतिस्थापित किए जाएंगे;
- (x) क्रम संख्या 384 के सामने, खाना (3) के नीचे, "17 इंच से अनधिक कम्प्यूटर मानीटर" अंको और शब्दों के स्थान पर, "20 इंच से अनधिक कम्प्यूटर मानीटर" अंक और शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;
- (xi) क्रम संख्या 438 के सामने, खाना (3) के नीचे, विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-
"कायर गद्दे, रूई के तकिये और गद्दे";
- (xii) क्रम संख्या 449 तथा उसके सामने, विद्यमान प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या और उसके सामने प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-

"449 क	9613	किचन गैस लाइटर्स";
--------	------	--------------------

(घ) अनुसूची IV - 14% में,-

- (i) "माल का वर्णन" शीर्ष के नीचे, क्रम संख्या 9 के सामने, "कस्टर्ड पाउडर" शब्दों का लोप कर दिया जाएगा;
- (ii) "माल का वर्णन" शीर्ष के नीचे, क्रम संख्या 45 के सामने, "प्लास्टिक तिरपाल" शब्दों के स्थान पर, "प्लास्टिक तिरपाल, मेडिकल श्रेणी के निस्तारणयोग्य निर्जीवाणुक दस्ताने, प्लास्टिक रेनकोट" शब्द तथा चिह्न प्रतिस्थापित किए जाएंगे;
- (iii) "माल का वर्णन" शीर्ष के नीचे, क्रम संख्या 49 के सामने, "इरेजर से भिन्न" शब्दों के स्थान पर, "इरेजर रबरबैंड, धान डी-हैस्किंग मशीन के लिए राइस रबर रोल्स से भिन्न" शब्द तथा चिह्न प्रतिस्थापित किए जाएंगे;
- (iv) क्रम संख्या 70 तथा उसके सामने विद्यमान प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या और उसके सामने प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-

"कर्मित संस्मारकीय या निर्माण पत्थर (स्लेट के सिवाय) और उसकी वस्तुएं शीर्ष 6801 के माल से भिन्न; प्राकृतिक पत्थर (जिसके अन्तर्गत स्लेट भी हैं) की मोजाइक क्यूब और उसी प्रकार की वस्तुएं चाहे किसी पृष्ठक पर हैं या नहीं; प्राकृतिक पत्थर (जिसके अन्तर्गत स्लेट भी हैं) की कृत्रिम रूप से रंगी कणिकाएं, चिपपियां और

- चूर्ण; मार्बल के, ट्रैवर्टिन और अलाबस्टर, ग्रैनाईट के अन्य कर्मित पत्थर [मूर्तियों, प्रतिमाएं, पेडस्टल्स; ज्यादा या कम उभरी नक्काशी, क्रोसिस, जानवरों की आकृति, कटोरे, फूलदान, कप, कैचो बक्से, लेखन सेट, ऐशट्रे, पेपर वेट, कृत्रिम फल और पत्ते आदि पत्थर के अन्य सजावटी सामान से भिन्न]”;
- (v) “माल का वर्णन” शीर्ष के नीचे, क्रम संख्या 85 के सामने, विद्यमान “चीनी मिट्टी के पात्र या जार और समान प्रकार की वस्तुएं, जिनका उपयोग माल के प्रवहन या उसकी पैकिंग के लिए किया जाता है” शब्दों तथा चिह्नों का लोप कर दिया जाएगा;
- (vi) क्रम संख्या 87 तथा उसके सामने, विद्यमान प्रविष्टियों का लोप कर दिया जाएगा ;
- (vii) “माल का वर्णन” शीर्ष के नीचे, क्रम संख्या 154 के सामने, “17 इंच से अनधिक कम्प्यूटर मानीटर से भिन्न” अंको और शब्दों के स्थान पर, “20 इंच से अनधिक कम्प्यूटर मानीटर से भिन्न” अंक और शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;
- (viii) क्रम संख्या 219 तथा उसके सामने, विद्यमान प्रविष्टियों का लोप कर दिया जाएगा ;
- (ix) “माल का वर्णन” शीर्ष के नीचे, क्रम संख्या 222 के सामने, “फिलंट और बत्ती से भिन्न” शब्दों के स्थान पर, “(फिलंट और बत्ती या किचन गैस लाइटर, से भिन्न)” कोष्ठक और शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;
- (ड) अनुसूची V – 1.5% में, क्रम संख्या 2 के सामने, खाना (3) के नीचे, “अनौद्योगिक अकर्मित या साधारण रूप से कर्मित, बिदलित या निघर्ष रुपित से भिन्न” शब्दों तथा चिह्नों के स्थान पर, “औद्योगिक या अनौद्योगिक अकर्मित या साधारण रूप से कर्मित, बिदलित या निघर्ष रुपित अनगढ़ डायमंड सहित से भिन्न” शब्द तथा चिह्न प्रतिस्थापित किए जाएंगे;
- (च) अनुसूची VI – 0.125% में,—
- (i) क्रम संख्या 1 के सामने, खाना (3) के नीचे, विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:—
- “औद्योगिक या अनौद्योगिक अकर्मित या साधारण रूप से कर्मित, बिदलित या निघर्ष रुपित अनगढ़ डायमंड सहित”;
- (छ) व्याख्या में, पैरा (ii) के स्थान पर, निम्नलिखित पैरा प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—
- “(ii) (क) वाक्यांश “ ब्रांड नाम” से अभिप्राय है, ब्रांड नाम या व्यापार नाम, जिसे कह सकते हैं कोई नाम या चिह्न जैसे प्रतीक, मोनोग्राम, लेबल, हस्ताक्षर या आविष्कार शब्द या लेखन जो संकेत के प्रयोजन के लिए ऐसे विनिर्दिष्ट मालों के सम्बन्ध में, या उस व्यक्ति की पहचान के किसी संकेत या के बिना ऐसे नाम या चिह्न का उपयोग करने वाले कुछ व्यक्तियों के बीच व्यापार के क्रम के सम्बन्ध में संकेत के रूप में उपयोग किया गया है;
- (ख) वाक्यांश “पंजीकृत ब्रांड नाम” से अभिप्राय है,—
- (क) व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999 (1999 का केन्द्रीय अधिनियम 47) के अधीन 15 मई 2017 को पंजीकृत कोई ब्रांड चाहे ब्रांड का बाद में पंजीकरण रद्द कर दिया गया हो या नहीं ;
- (ख) प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम, 1957 (1957 का केन्द्रीय अधिनियम 14) के अधीन 15 मई, 2017 को पंजीकृत कोई ब्रांड;
- (ग) किसी अन्य देश में उस समय लागू किसी अन्य विधि के अधीन 15 मई, 2017 को पंजीकृत कोई ब्रांड;
- (ज) पैरा 2 में, अन्त में निम्नलिखित अनुबंध जोड़े जाएंगे, अर्थात्:—

“अनुबंध

किसी ब्रांड नाम पर अनुयोज्य दावा या प्रवर्तनी अधिकार के परित्याग हेतु,—

- (क) इकाई आधानों में ऐसे मालों की पैकिंग करने वाला ऐसा व्यक्ति, जिस पर ब्रांड नाम छपा हो, क्षेत्राधिकार प्राप्त राज्य कर आयुक्त के समक्ष इस आशय का शपथ पत्र दायर करेगा कि वह स्पष्टीकरण (ii)(क) में यथापरिभाषित ऐसे ब्रांड नाम पर अपने अनुयोज्य दावा या प्रवर्तनी अधिकार का स्वेच्छा से परित्याग कर रहा है।
- (ख) इकाई आधानों में ऐसे मालों की पैकिंग करने वाला ऐसा व्यक्ति, जिस पर ब्रांड नाम छपा हो, अंग्रेजी और स्थानीय दोनों ही भाषाओं में अमिट स्याही से स्पष्ट रूप में मुद्रित करेगा कि ऐसे इकाई आधानों पर मुद्रित स्पष्टीकरण (ii)(क) में यथापरिभाषित ऐसे ब्रांड नाम के सम्बन्ध में अपने अनुयोज्य दावा या प्रवर्तनी अधिकार का स्वेच्छा से परित्याग किया है।

संजीव कौशल,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
आबकारी तथा कराधान विभाग।

HARYANA GOVERNMENT
EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

Notification

The 25th September, 2017

No. 91/ST-2.— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017), the Governor of Haryana, on the recommendations of the Council, hereby makes the following amendments in the Haryana Government, Excise and Taxation Department, Notification No. 35/ST-2, dated the 30th June, 2017, namely:-

Amendment

In the said notification,-

(A) in Schedule I-2.5%,-

- (i) against serial numbers 11, 13, 25, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58 and 59, under column (3), for the words “put up in unit container and bearing a registered brand name”, the words, brackets and letters “put up in unit container and,-
- (a) bearing a registered brand name; or
- (b) bearing a brand name on which an actionable claim or enforceable right in a court of law is available [other than those where any actionable claim or any enforceable right in respect of such brand name has been voluntarily foregone, subject to the conditions as in the ANNEXURE]”, shall be substituted;

- (ii) after serial number 29 and the entries thereagainst, the following serial number and the entries thereagainst shall be inserted, namely:-

“29A	0802	Walnuts, whether or not shelled” ;
------	------	------------------------------------

- (iii) after serial number 33 and the entries thereagainst, the following serial number and the entries thereagainst shall be inserted, namely:-

“33A	0813	Tamarind, dried” ;
------	------	--------------------

- (iv) after serial number 100 and the entries thereagainst, the following serial number and the entries thereagainst shall be inserted, namely:-

“100A	2106	Roasted Gram” ;
-------	------	-----------------

- (v) in serial number 105, under column (3), the brackets and words, “[other than aquatic feed including shrimp feed and prawn feed, poultry feed & cattle feed, including grass, hay & straw, supplement & husk of pulses, concentrates & additives, wheat bran & de-oiled cake]”, shall be omitted;
- (vi) in serial number 106, under column (3), the brackets and words, “[other than aquatic feed including shrimp feed and prawn feed, poultry feed & cattle feed, including grass, hay & straw, supplement & husk of pulses, concentrates & additives, wheat bran & de-oiled cake]”, shall be omitted;
- (vii) in serial number 107, under column (3), for the words, “other than aquatic feed including shrimp feed and prawn feed, poultry feed & cattle feed, including grass, hay & straw, supplement & husk of pulses, concentrates & additives, wheat bran & de-oiled cake”, the words “other than cotton seed oil cake”, shall be substituted;

- (viii) in serial number 185, under column (3), for the existing entry, the entry “Agarbatti, lobhan, dhoopbatti, dhoop, sambhrani”, shall be substituted;

- (ix) after serial number 198 and the entries thereagainst, the following serial number and entries thereagainst shall be inserted, namely:-

“198A	4601, 4602	Grass, leaf or reed or fibre products, including mats, pouches, wallets”;
-------	---------------	---

- (x) in serial number 200, under column (3), for the word “kites”, the words “Kites, Paper mache articles”, shall be substituted;

- (xi) after serial number 201 and the entries thereagainst, the following serial number and the entries thereagainst shall be inserted, namely:-

“201A	4907	Duty Credit Scrips” ;
-------	------	-----------------------

- (xii) after serial number 219 and the entries thereagainst, the following serial numbers and the entries thereagainst shall be inserted, namely:-

“219A	5801	Corduroy fabrics
219B	5808	Saree fall” ;

- (xiii) after serial number 257 and the entries thereagainst, the following serial number and entries thereagainst shall be inserted, namely:-

“257A	9404	Cotton quilts of sale value not exceeding Rs. 1000 per piece” ;
-------	------	---

- (xiv) after serial number 259 and entries thereagainst, the following serial number and entries thereagainst shall be inserted, namely:-

“259A	9601	Worked corals other than articles of coral” ;
-------	------	---

- (xv) against serial number 260, for the existing entries, the following entries shall be substituted, namely:-

“9603 [other than 9603 10 00]	Broomsticks[other than brooms consisting of twigs or other vegetable materials bound together, with or without handles]” ;
----------------------------------	---

- (xvi) after serial number 263 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely:-

“263A	Any chapter	Rosaries, prayer beads or Hawan samagri” ;
-------	----------------	--

- (B) in Schedule II-6%,-

- (i) in serial number 15, under column (3), the word “walnuts,” , shall be omitted;
- (ii) in serial number 17, under column (3), for the words and figure “dried fruits of Chapter 8”, the words, figure and brackets, “dried fruits of Chapter 8 [other than tamarind, dried]”, shall be substituted;
- (iii) in serial number 45, under column (3), for the words and brackets, “Texturised vegetable proteins (soya bari) and Bari made of pulses including mungodi”, the words and brackets, “Texturised vegetable proteins (soya bari), Bari made of pulses including mungodi and batters, including idli / dosa batter”, shall be substituted;
- (iv) in serial number 46, under column (3), for the words “ready for consumption form”, the words and brackets, “ready for consumption form(other than roasted gram), shall be substituted;
- (v) in serial number 49, under column (3), for the words “put up in unit container and bearing a registered brand name”, the words, brackets and letters “put up in unit container and, -
- (a) bearing a registered brand name; or
- (b) bearing a brand name on which an actionable claim or enforceable right in a court of law is available [other than those where any such actionable claim or enforceable right in respect of such brand name has been voluntarily foregone, subject to the conditions as specified in the ANNEXURE]”, shall be substituted;
- (vi) in serial number 73, under column (3) , for the word “agarbattis”, the words, “agarbattis, lobhan, dhoopbatti, dhoop, sambhrani”, shall be substituted;
- (vii) after serial number 85 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely:-

“85A	4016	Rubber bands” ;
------	------	-----------------

- (viii) after serial number 92 and the entries thereagainst, the following serial number and entries thereagainst shall be inserted, namely:-

“92A	44, 68, 83	Idols of wood, stone [including marble] and metals [other than those made of precious metals]”;
------	------------	--

- (ix) after serial number 99 and the entries thereagainst, the following serial number and entries thereagainst shall be inserted, namely:-

“99A	4419	Tableware and Kitchenware of wood” ;
------	------	--------------------------------------

- (x) in serial number 128, under column (3) , for the words “similar documents of title”, the words and brackets, “similar documents of title[other than Duty Credit Scrips]”, shall be substituted;

- (xi) in serial number 147, under column (3), for the existing entry, the entry “Woven pile fabrics and chenille fabrics except Corduroy fabrics, other than fabrics of heading 5802 or 5806”, shall be substituted;
- (xii) in serial number 154, under column (3), for the existing entry, the entry “Braids in the piece; ornamental trimmings in the piece, without embroidery, other than knitted or crocheted; tassels, pompons and similar articles[other than saree fall]”, shall be substituted;
- (xiii) after serial number 171 and entries thereagainst, the following serial number and entries thereagainst shall be inserted, namely:-

“171A	6501	Textile caps ” ;
-------	------	------------------

- (xiv) in serial number 176, under column (3), after the words “Sand lime bricks” the words “or Stone inlay work” shall be inserted;
- (xv) after serial number 176 and the entries thereagainst, the following serial number and entries thereagainst shall be inserted, namely:-

“176A	6802	Statues, statuettes, pedestals; high or low reliefs, crosses, figures of animals, bowls, vases, cups, cachou boxes, writing sets, ashtrays, paper weights, artificial fruit and foliage, etc.; other ornamental goods essentially of stone”;
-------	------	--

- (xvi) after serial number 177 and the entries thereagainst, the following serial numbers and entries thereagainst shall be inserted, namely:-

“177A	6909	Pots, jars and similar articles of a kind used for the conveyance and packing of goods of ceramic
177B	6911	Tableware, kitchenware, other household articles and toilet articles, of porcelain or china
177C	6912	Tableware, kitchenware, other household articles and toilet articles, other than of porcelain or china
177D	6913	Statues and other ornamental articles”;

- (xvii) after serial number 189 and the entries thereagainst, the following serial number and entries thereagainst shall be inserted, namely:-

“189A	8306	Bells, gongs and the like, non-electric, of base metal; statuettes and other ornaments, of base metal; photograph, picture or similar frames, of base metal; mirrors of base metal; metal bidriware”;
-------	------	---

- (xviii) after serial number 195 and the entries thereagainst, the following serial number and entries thereagainst shall be inserted, namely:-

“195A	8424	Nozzles for drip irrigation equipment or nozzles for sprinklers” ;
-------	------	--

- (xix) after serial number 224 and entries thereagainst, the following serial number and entries thereagainst shall be inserted, namely:-

“224A	9404	Cotton quilts of sale value exceeding Rs. 1000 per piece” ;
-------	------	---

- (xx) after serial number 231 and the entries thereagainst, the following serial number and entries thereagainst shall be inserted, namely:-

“231A	9601	Worked ivory, bone, tortoise shell, horn, antlers, mother of pearl, and other animal carving material and articles of these materials, articles of coral (including articles obtained by moulding)”;
-------	------	--

(C) in Schedule III-9%,-

- (i) in serial number 23, under column (3), for the words and bracket “Diabetic foods;[other than Namkeens”, the words and bracket, “Diabetic foods, Custard powder;[other than batters including idli/dosa batter, Namkeens”, shall be substituted;
- (ii) in serial number 111, under column (3), for the words “Plastic Tarpaulin”, the words, “Plastic Tarpaulin, Medical grade sterile disposable gloves, Plastic raincoats”, shall be substituted;

- (iii) after serial number 123 and the entries thereagainst, the following serial number and entries thereagainst shall be inserted, namely:-

“123A	4016	Rice rubber rolls for paddy de-husking machine” ;
-------	------	---

- (iv) serial number 140 and the entries thereof shall be omitted;
- (v) in serial number 157, under column (3), for the words “Braille paper”, the words “Braille paper, kites, Paper mache articles” shall be substituted;
- (vi) in serial number 172, under column (3), for the words, “of felt”, the words and brackets, “of felt [other than textile caps]”, shall be substituted;
- (vii) serial numbers 186 and 187 and the entries thereof shall be omitted;
- (viii) serial number 304 and entries thereof shall be omitted;
- (ix) in serial number 325, under column (3), for the words “other than fire extinguishers, whether or not charged”, the words, “other than fire extinguishers, whether or not charged and Nozzles for drip irrigation equipment or nozzles for sprinklers” shall be substituted;
- (x) in serial number 384, under column (3), for the words and figures, “Computer monitors not exceeding 17 inches”, the words and figures, “Computer monitors not exceeding 20 inches”, shall be substituted;
- (xi) in serial number 438, under column (3), for the existing entry, the entry, “Coir mattresses, cotton pillows and mattresses”, shall be substituted;
- (xii) after serial number 449 and entries thereagainst, the following serial number and entries thereagainst shall be inserted, namely:-

“449A	9613	Kitchen gas lighters” ;
-------	------	-------------------------

(D) in Schedule-IV-14%,-

- (i) in serial number 9, under column (3), the words “ , Custard powder” shall be omitted;
- (ii) in serial number 45, under column (3), for the words, “ plastic tarpaulins”, the words “plastic tarpaulins, medical grade sterile disposable gloves, plastic raincoats”, shall be substituted;
- (iii) in serial number 49, under column (3), for the words, “other than erasers”, the words, “other than erasers, rubber bands, rice rubber rolls for paddy de-husking machine”, shall be substituted;
- (iv) in serial number 70, under column (3), for the words, “ of Other calcareous stone”, the words and brackets, “of Other calcareous stone [other than statues, statuettes, pedestals; high or low reliefs, crosses, figures of animals, bowls, vases, cups, cachou boxes, writing sets, ashtrays, paper weights, artificial fruit and foliage; other ornamental goods essentially of stone]”, shall be substituted;
- (v) in serial number 85, the words, “ ;ceramic pots, jars and similar articles of a kind used for the conveyance or packing of goods”, shall be omitted;
- (vi) serial number 87 and the entries thereof shall be omitted;
- (vii) in serial number 154, under column (3), for the words and figures, “other than computer monitors not exceeding 17 inches”, the words and figures, “other than computer monitors not exceeding 20 inches”, shall be substituted;
- (viii) serial number 219 and entries thereof shall be omitted;
- (ix) in serial number 222, under column (3), for the words, “other than flints and wicks”, the brackets and words, “[other than flints, wicks or Kitchen gas lighters]”, shall be substituted;

(E) in Schedule-V-1.5%,-

in serial number 2, under column (3), for the words, “other than Non-Industrial Unworked or simply sawn, cleaved or bruted”, the words, “other than industrial or non-industrial, unworked or simply sawn, cleaved or bruted, including unsorted diamonds”, shall be substituted;

(F) in Schedule-VI-0.125%,-

in serial number 1, under column (3), for the existing entry, the entry, “Diamonds, industrial or non-industrial, unworked or simply sawn, cleaved or bruted, including unsorted diamonds”, shall be substituted;

(G) in the *Explanation*, for clause (ii), the following shall be substituted, namely: -

“(ii)(a) The phrase “brand name” means brand name or trade name, that is to say, a name or a mark, such as symbol, monogram, label, signature or invented word or writing which is used in relation to such specified goods for the purpose of indicating, or so as to indicate a connection in the course of trade between such specified goods and some person using such name or mark with or without any indication of the identity of that person.

(b) The phrase “registered brand name” means,-

- (A) a brand registered as on the 15th May, 2017 under the Trade Marks Act, 1999. irrespective of whether or not the brand is subsequently deregistered;
- (B) a brand registered as on the 15th May, 2017 under the Copyright Act, 1957(14 of 1957);
- (C) a brand registered as on the 15th May, 2017 under any law for the time being in force in any other country.”;

(H) after paragraph 2, the following Annexure shall be inserted, namely: -

“ANNEXURE

For foregoing an actionable claim or enforceable right on a brand name,-

- (a) the person undertaking packing of such goods in unit containers which bear a brand name shall file an affidavit to that effect with the jurisdictional commissioner of State tax that he is voluntarily foregoing his actionable claim or enforceable right on such brand name as defined in Explanation (ii)(a); and
- (b) the person undertaking packing of such goods in unit containers which bears a brand name shall, on each such unit containers, clearly print in indelible ink, both in English and the local language, that in respect of the brand name as defined in Explanation (ii)(a) printed on the unit containers he has foregone his actionable claim or enforceable right voluntarily.”.

SANJEEV KAUSHAL,
Additional Chief Secretary to Government, Haryana,
Excise and Taxation Department.